न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा (दौसा)

पीठासीन अधिकारी लाखनसिंह गुर्जर आर0ए0एस

मुकदमा नं0 20/2022

1.श्री किशन } पुत्राण रतनलाल
2.मुशी } जाति मीना निवासी हुडला
3.घूडीदेवी बेवा रतनलाल तहसील महवा जिला दौसा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1.ईश्वरलाल } पुत्राण रामसहाय जाति मीना निवासी
2.चौथीलाल } हुडला तहसील महवा जिला दौसा।
3.लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,महवा जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1.श्री गिरधरसिंह गुर्जर वकील प्रार्थी
2.श्री धर्मसिंह राजपूत वकील अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक :–11/09/2023

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा 2084/0.85, 2384/1/0.63, 2386/0.54, 2387/2/0.28 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.30 हैक्टर बांके ग्राम हुडला तहसील महवा जिला दौसा में स्थित है, के खसरा नम्बर 2084 के उत्तर में अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ,ख.नं. 2085 एवं 2086 जो कि एक ही डोल से मिले हुए हैं। खसरा नम्बर 2085, 2086 में से तरफ पश्चिम को लक्ष्मीनारायण का हिस्सा है तथा इसमें पूर्व में चौथी मीना का हिस्सा है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2084 एवं अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 की आराजी खसरा नम्बर 2085, 2086 के मध्य में दोनों यानि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की शामलाती मिट्टी की डोल करीब 3 – 4 फीट चौडी बनी हुई चली आ रही है। खसरा नम्बर 15/0.47, 169/0.54,176/0.39,178/2/0.03,179/2/0.2750,2085/0.52,2086/0.36, 2384/2/0.12 व 2387/1/1.300

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

Mob. : 9414236824

कुल किता 9 कुल रकबा 4.0050 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 की बहिस्सा बराबर की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 2387/2/0.28 की तरफ पश्चिम में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 की खातेदारी की आराजी ख.नं. 2085 जोकि चौथीलाल के हिस्से में है तथा इसमें तरफ उत्तर को ईश्वरलाल के हिस्से में इस प्रकार इस ओर भी प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 2387/2 की सीमा मेड अप्रार्थी चौथी ईश्वर के हिस्से के खेत ख.नं. 2085 से लगी हुई है दोनों के बीच में कच्ची मिट्टी की मेडी बनी हुई है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ईश्वरलाल, चौथीलाल लट्ठ वाले, पैसे वाले, खूँखार आदमी है जो प्रार्थी की आराजी ख.नं. 2084 एवं 2387/2 की डोल मेड जोतते समय धीरे डोल मेड तोडते रहते है, मरने मारने पर आमदा होते है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

बहस पत्रावली

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 3 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया दिनांक 02.09.2022 को जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है हम उत्तरदाता द्वारा किसी भी प्रकार की डोलमेड को नहीं तोडा है और ना ही किसी के हिस्से में दखलंदाजी की है। प्रार्थीगण द्वारा अनर्गल झूठे तथ्य अंकित किये है तो स्वीकार नहीं है। उत्तरदाता द्वारा प्रार्थीगण की किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं किया है और ना ही प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि को तोडकर मिलाया है। आपस में अलग–अलग खातेदारी की भूमि है जिससे एक दूसरे की आराजी से कोई संबंध नहीं है और ना ही प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की क्षति की संभावना नहीं है। फिर हम उत्तरदाता प्रार्थीगण को धमकी क्यों देंगे। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि खारिज योग्य है। प्रार्थीगण का ना तो प्रथम दृष्टया केस ही साबित है और ना ही सुविधा का सन्तुलन ही उसके पक्ष में है बल्कि प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन ही अप्रार्थीगण के पक्ष में है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा दावा बेदखली ,पत्थरगढी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व डोलमेड जोतकर तोडते रहने बावत् दावा प्रस्तुत किया है। लेकिन अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण की कब्जे काश्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही कभी रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी की भूमि पर कोई कब्जा किया है केवल डोलमेड तोडने को लेकर विवाद है जिसे दावा में तय कर दिया जावेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।
2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह बखूबी प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा जब कोई कब्जा नहीं कर रखा है और अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगणं में निहित है।

3.अपूरणीय क्षति :–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.03.2022 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लाखन सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा